मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः25.05.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” व “मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेज द्वितीय” के तहत युवती के साथ दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियोग में आरोपी को करायी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” व “मिशन शक्ति अभियान 5.0 फेज द्वितीय” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व आर.पी.सिंह-पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना मड़िहान पर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः03.11.2021 को थाना मड़िहान पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की भतीजी को बहला फुसला कर भगाने एवं दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-192/2021धारा 366,376 भादवि की विवेचना के दौरान घटना से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। अभियोजन अधिकारी- सनातन कुमार, विवेचक, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी संजय चौहान तथा पैरोकार-आरक्षी मनोज कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी कर समस्त साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः25.05.2026 को मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुनीता सिंह नागौर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र बचनू राम निवासी ग्राम मटिहानी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 366,376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 04 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी।

ऑपरेशन कन्विक्शन
महिला सुरक्षा में न्याय की जीत
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मीरजापुर पुलिस
थाना मड़िहान: वर्ष 2021
मु0अ0सं0-192/2021 धारा 366,376 भादवि के अभियोग में मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-सुनीता सिंह नागौर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त-अरविन्द कुमार पुत्र बचनू राम निवासी ग्राम मटिहानी थाना मड़िहान जनपद मीरजापुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
#OperationConviction

****